: :न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
सीआईएस नंबर	:	**474/2015 (196/2015)**
सीएनआर नंबर	:	**RJJW08-000282-2015-**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. रामदयाल पुत्र हरिवल्लभ उम्र 37 साल निवासी सलावद पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0)

अभियुक्त.....

अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354(क)(1) भा.दं.सं.

उपस्थितः—

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से अनु0।

2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—20.04.2026**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Nipun saxena v/s union of india (2019) 13 SCC 715 के प्रतिपादित सिद्वांत की रोशनी में प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित धारा 354 भा.दं.सं. की होने से एवं फरियादिया की पहचान को गुप्त रखने के लिए निर्णय में फरियादिया को अभियोक्त्री नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाँक 05/05/15 को अभियोक्त्री ने अपने पिता नन्दकिशोर के उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह गावं सालावद की रहने वाली है। वह उसके ससुराल से साठ आठ दिन पहले पीहर सलावद में आई थी दिनांक 5/5/15 को समय शाम 4—5 बजे करीब वह लेट्रिन करने के लिये जा रही थी उनके गावं के बादोडिया की सराई के पास पहुंची जहां पर रामदयाल पिता हरिबलफ का शराब पी रहा था जिसने उसे आती देख उससे कहा कि तू आजा मेरे से काम करा ले वह उसके पास नहीं गई और वापस उनके घर चली गयी जहां पर उसकी भाभी सुनिताबाई व बहन ममताबाई मिली जिनको उसने सारी बात बताई।............इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 100/2015 अन्तर्गत धारा 354(क)(1) भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त रामदयाल के विरूद्ध धारा 354, 354(क)(1) भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 18.08.2015 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

4. अभियुक्त रामदयाल के विरूद्ध धारा 354, 354(क)(1) भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू–1	ओमप्रकाश
पी.डब्ल्यू–2	सुनीताबाई
पी.डब्ल्यू–3	कैलाशचंद
पी.डब्ल्यू–4	अभियोक्त्री
पी.डब्ल्यू–5	ममता बाई
पी.डब्ल्यू–6	नन्दकिशोर

6. **अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची**

अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	चाक एफआईआर
2.	प्रदर्श पी 2	लिखित रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी 4	धारा 164 सीआरपीसी के बयान

7. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

8. बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

9. बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची
बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान अभियोक्त्री
2	प्रदर्श पी 6	पुलिस बयान ममताबाई

10. बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 5.05.2015 को शाम 4–5 बजे के लगभग ग्राम मौजा सलावद में अभियोक्त्री जब लेट्रिन करने जा रही थी तो उसकी स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री से शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने हेतु अश्लील बाते कहीं हो एवं अभियोक्त्री के भतीजे अंकित को जबरन ले जाने लगा तथा अभियोक्त्री पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2– यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण का मुख्य साक्षी स्वयं अभियोक्त्री पीड–04 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि वह सलावद थाना घाटोली की रहने वाली है। छबड़ा में उसका ससुराल है। आज से करीब 10 साल पहले वह अपने पीहर में आई हुई थी। शाम के समय लेटिन करने जा रही थी तो सामुदायिक भवन के पास रामदयाल मिला तो उसने उससे कहा कि मेरे पास आज काम कराले, वह पास नही गई थी। यह बात उसने घरवालों को बता दी थी। इसके अलावा और कोई बात नही हुई। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि न्यायालय के बाहर उसका रामदयाल से राजीनामा हो गया है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने रामदयाल के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। जिसकी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके कथन 164 सीआरपीसी लेखबद्ध कराये थे जो प्रदर्श पी4 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस में बयान नही हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग जिसमें रामदयाल द्वारा उसका हाथ पकड़ना और बेज्ञत करना लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ऐसे बयान उसने नही दिये।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी, उसके तो केवल हस्ताक्षर कराये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसे पढ़कर नही सुनाया।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 5 ममताबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 10 साल पहले की बात है। उसकी छोटी बहन अभियोक्त्री लेट्रिन करने गई थी। जो घबराई हुई वापस आई जिसने बताया कि सामुदायिक भवन के यहां रामदयाल शराब पी रहा था, जिसने उससे कहा कि आजा काम करा ले। इसके अलावा और कोई बात नही बताई। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि न्यायालय के बाहर रामदयाल से उनका राजीनामा हो गया है। उसके पुलिस में बयान नही हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी6 का ए से बी भाग जिसमे रामदयाल द्वारा अभियोक्त्री का हाथ पकड़ कर बेज्ञत करने के तथ्य लिखे हुए है, गलत लिखे हुए है। ऐसा बयान उसने नही दिया। इस सुझाव से इन्कार किया

कि राजीनामा होने के कारण झूठे बयान दे रही हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने उसे घटना के बारे में कुछ भी नही बताया था।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 6 नन्दकिशोर ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 10 साल पहले शाम के समय उसकी पुत्री अभियोक्त्री लेटिन करने गई थी। थोड़ी देर घबराई हुई आई तथा उसके लड़के की बहु सुनीता को बताया कि वह लेटिन करने सामुदायिक भवन के पास पहुंची तो वहां रामदयाल शराब पीकर आया और रामदयाल ने उससे कहा कि करा ले, वह उसके पास नही गई और उसका हाथ पकड़ कर बेज्ञती की। इस पर अभियोक्त्री के साथ वह भी थाने पर रिपोर्ट कराने गया था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है और नक्शा मौका प्रदर्श पी1 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके सामने कोई घटना नही हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि रामदयाल उनके घर के सामने आकर गाली गलोच कर रहा था। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने थाने में गाली गलोच की रिपोर्ट लिखाई थी। थाने वालों ने रिपोर्ट में क्या लिखा, उसे पढ़कर नही सुनाया था, उसके केवल हस्ताक्षर कराये थे। उसकी लडकी ने भी घटना के बारे में कुछ नही बताया था।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 2 सुनितबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि अभियोक्त्री उसकी ननद है। करीब 10–11 साल पहले की बात है। उसकी ननद अभियोक्त्री लेट्रिन करके आ रही थी। वह घबराई हुई थी, उसकी बड़ी ननद ममता को आकर अभियोक्त्री ने बताया कि वह जब लेटिन करने गई थी तब रामदयाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको कमरे में ले जाने लगा। इसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने कराई थी।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके सामने अभियोक्त्री के साथ कोई घटना नही हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि रामदयाल ने घर पर आकर गाली गलोच की थी। इसके अलावा और कुछ बात नही हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के साथ कोई घटना नही हुई।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 3 कैलाशचंद ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 8–10 साल पहले की बात है। घटना की तारीख उसे पता नही है। उस दिन उसकी बहन अभियोक्त्री शाम को सरकारी बिल्डिंग के पास गांव में ही लेट्रिन गई थी। रामदयाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाली गलोच करने लग गया। अभियोक्त्री ने उन्हें सारी बात बताई फिर उसके पिताजी ने अभियोक्त्री को साथ ले जाकर रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने मौका मुआयना किया था, नक्शा मौका प्रदर्श पी। है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके सामने कोई घटना नही हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे घटना के बारे में अभियोक्त्री ने उस समय नही बताया था। उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने घर पर कराये थे, किस बात के कराये थे, यह उसे नही बताया था।

17. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 1 ओमप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 05.05.2015 को पुलिस थाना घाटोली में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 100/2015 की एफआईआर अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौरानें अनंसधान अभियोक्त्री, गवाह ममता बाई, सुनिता बाई, नन्दकिशोर कैलाशचंद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी1 अभियोक्त्री की निशादेही से बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियोक्त्री के 164 सीआरपीसी के बयान माननीय न्यायालय एसीजेएम अकलेरा ने करा कर शामिल पत्रावली करे। मुलजिम रामदयाल पुत्र हरिवल्लभी मीणा को जरिये फर्द प्रदर्श पी2 से गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मुलजिम रामदयाल के हस्ताक्षर है। आद अनुसंधान मुलजिम रामदयाल, पुत्र हरिवल्लभ के विरूद्व धारा 354, 354 (क) (1) आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे अभियोक्त्री ने बताया उन्ही गवाहान् के बयान लेखबद्ध किए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल के आस पास के लोगों से कोई पूछताछ नही की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने उसकी तहरीर रिपोर्ट में उसके साथ लामक झूमा और मारपीट एवं लज्ज़ा भंग होने वाली बात नहीं लिख कर दी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि यह वह

नही बता सकता कि अभियोक्त्री ने रंजिश की वजह से मुलजिम के विरूद्ध बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट दर्ज कराई हो।

18. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अभियुक्ता द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 में मुख्य रूप से यह अंकित करवाया है कि दिनांक 5–05–2015 को समय 4–5 बजे करीब जब वह लेटरिंग करने के लिए जा रही थी, तो वह गांव के बाडोदिया की सराई के पास पहुँची। जहाँ पर अभियुक्त रामदयाल शराब पी रहा था। जिसने उसको आता देखकर कहा कि "आजा, मेरे से काम करवा ले" एवं वो उसके पास नहीं गई और वापस अपने घर चली गई जहाँ पर उसने यह सारी बात उसकी भाभी सुनीताबाई व बहन ममताबाई को बताई। इस संबंध में अभियोक्त्री न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू 4 के रूप में परीक्षित हुई है जो कथन करती है कि घटना के दिन सामुदायिक भवन के पास उसे रामदयाल मिला। जिसने उससे कहा कि उसके पास काम करवा ले तथा वह उसके पास नहीं गई। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग जिसमें रामदयाल द्वारा उसका हाथ पकड़ना व बेइज़्ज़त करना लिखा हुआ है वह गलत होना बताया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी तथा रिपोर्ट में क्या लिखा था उसे पढ़कर नहीं सुनाया। ऐसे में अभियोक्त्री जहां तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 में बाडोदिया की सराई में घटना होना बताती है, वहीं न्यायालय के समक्ष घटना सामुदायिक भवन के पास होना बताती है। इस संबंध में अभियोक्त्री ने तहरीरी रिपोर्ट में घटना की जानकारी भाभी सुनीताबाई व बहन ममताबाई को देना बताया है। इस संबंध में गवाह सुनीताबाई पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुई है जो न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि घटना के दिन उसकी ननद अभियोक्त्री ने जब उसको आकर बताया कि जब वह लेटरिंग करने गई थी तब अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको कमरे में ले जाने लगा। ऐसे में उक्त गवाह पूर्ण रूप से विरोधाभास कथन करती है तथा जिरह में इस बात को भी स्वीकार करती है कि अभियोक्त्री ने उसे कुछ नहीं बताया तथा अभियोक्त्री के साथ घटना नहीं घटी। ऐसे में उक्त गवाह पूर्ण रूप से बयानों में खंडित रही है। इस संबंध में गवाह ममताबाई पीडब्ल्यू 5 के रूप में परीक्षित हुई है जो मुख्य परीक्षण में जहाँ कथन करती है कि घटना के दिन अभियोक्त्री ने उसे बताया कि सामुदायिक भवन के यहाँ अभियुक्त रामदयाल शराब पी रहा था। जिसने उससे कहा कि "आजा, काम करवा ले" किंतु जिरह में इस बात को स्वीकार करती है कि अभियोक्त्री ने उसे घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में उक्त गवाह भी पूर्ण रूप से

बयानों में खंडित रही है। इस संबंध में अन्य गवाह कैलाशचंद पीडब्ल्यू 3 जो कथन करता है कि घटना के दिन अभियुक्त ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था। ऐसे में उक्त गवाह तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से विरोधाभास प्रकट करता है तथा जिरह में इस बात को स्वीकार करता है कि उसके सामने कोई घटना नहीं घटी। प्रकरण के अन्य गवाह नंदकिशोर पीडब्ल्यू 6 है जो मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि घटना के दिन अभियुक्त शराब पीकर आया तथा अभियोक्त्री से बोला कि "करा ले" तथा उसका हाथ पकड़कर बेइज्ज़ती की। ऐसे में उक्त गवाह उसका हाथ पकड़कर बेइज्ज़ती करने का कथन करता है जबकि तहरीरी रिपोर्ट में अभियोक्त्री द्वारा हाथ पकडने बाबत कोई कथन अंकित नही है। ऐसे में उक्त गवाह विरोधाभास कथन करता है तथा जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में इस बात को स्वीकार करता है कि अभियुक्त रामदयाल उनके घर के सामने आकर गाली—गलोज कर रहा था। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। इस बात को भी स्वीकार करता है कि उन्होंने थाने में गाली—गलोच की रिपोर्ट लिखवाई थी तथा उसकी लड़की ने भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में पत्रावली पर अन्य गवाह विरोधाभासी कथन करते हैं तथा स्वयं अभियोक्त्री के कथनों में भी विरोधाभास प्रकट होता है। पत्रावली पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री की लज्ज़ा भंग करने के आशय से किसी भी तरह का आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। साथ ही पत्रावली में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री से शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने हेतु अश्लील बाते की हो।

19. विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 5.05.2015 को शाम 4—5 बजे के लगभग ग्राम मौजा सलावद में अभियोक्त्री जब लेट्रिन करने जा रही थी तो उसकी स्त्री लज्ज़ा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री से शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने हेतु अश्लील बाते कहीं हो एवं अभियोक्त्री के भतीजे अंकित को जबरन ले जाने लगा तथा अभियोक्त्री पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग किया हो।

20. अतः अभियुक्त **रामदयाल पुत्र हरिवल्लभ उम्र 37 साल निवासी सलावद पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0)** पर आरोपित अपराध धारा 354, 354(क)(1) भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

21. अतः **अभियुक्त रामदयाल पुत्र हरिवल्लभ उम्र 37 साल निवासी सलावद पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0) पर आरोपित अपराध धारा 354, 354(क)(1) भा.दं.सं. के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

22. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

23. निर्णय आज दिनांक 20–04–2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

साक्षी चावला

स्टेनो ग्रेड–III

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।